अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

172/20/229 महेन्द्र कुमार जैन बनाम राज0सरकार

नजरसानी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 172/2020 श्री एम0पी0 ओझा श्री राजकीय अभिभाषक-1	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
13.10.20	पत्रावली वास्ते आदेश नजरसानी प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थी के द्वारा जो आधार लिये गये थे उन पर निर्णय ना कर केवल चौसाला जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 को सम्वत 2050 से 2053 की होना मानकर निर्णय पारित कर दिया जो अपरेन्ट ऑफ फेस ऑफ द रिकार्ड होकर निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 जमाबंदी में विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज होना मानकर तथा अपीलांट एवं उनके विक्रेता द्वारा आराजी सन् 2007 व 2011 में भूमि क्रय करना माना है तथा सन् 2007 का संवत् 2064 होता है इसलिये संवत् 2050 से 2053 में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होना मानकर अपील को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । जबकि संवत् 2050 से 2053 की जमाबंदी नहीं है एवं न ही बनी है । जिस जमाबंदी को माननीय न्यायालय ने संवत् 2050 से 2053 माना है वह जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की है । इस प्रकार मान0 न्यायालय द्वारा उक्त जमाबंदी को गलत रूप से पढ़ा जाकर अपील को खारिज करने में त्रुटि कारित की है जो अपेरेन्ट ऑफ फेस ऑफ दॉ रिकार्ड होने से मान0 न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है । अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 408/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.8.2020 को निरस्त किया जाकर अपील को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे । राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार भी भूमि काबिल काश्त भूमि दर्ज है जो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त बाबत् कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है जिससे प्रार्थी का कब्जा काश्त साबित होता हो। उक्त जमाबंदी के गलत पठन से भी निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है । अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे । हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 408/2019 बउनवान महेन्द्र जैन बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.8.2020 का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि हाजा न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 अंकित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की है परन्तु बरवक्त निर्णय उक्त जमाबंदी को सहवन से संवत् 2050 से 2053 टंकित कर दिया गया एवं उसी	c लगातार

	आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप नहीं है तथा प्रथमदृष्टया ही एरर अपेरेन्ट ऑन दॉ फेस ऑफ रिकार्ड जाहिर होने से उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संख्या 2019/00408 बउनवान महेन्द्रसिंह बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 31.8.2020 निरस्त किया जाता है तथा अपील पत्रावली पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु आदेश दिये जाते है । उक्त पत्रावली को अपील के साथ संलग्न की जावे । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	